ONE RUPEE

102

# माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक    १०३ निगरानी

R. 1173-III/2003

विकासचन्द पिता लल्लुप्रसाद पाटीदार उम्र ४५ वर्ष
धन्धा व्यापार निवासी ग्राम दलौदा सगरा तहसील
एवं जिला मन्दसौर      -------- आवेदक

विरुद्ध

श्री शिवाजीराव शुगरकम्पनी दलौदा द्वारा महाप्रबन्धक-
शिवाजी राव शुगर मिल लिमिटेड दलौदा तहसील व
जिला मन्दसौर      -------- अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा ५० मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता
न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन में प्रकरण क्रमांक
७८।१९९९-२००० निगरानी में दिनांक १६-अप्रैल-२००३ को जो
आदेश पारित किया उससे असन्तुष्ट होकर

---

माननीय महोदय,

आवेदक की ओरसे निम्नलिखित निगरानी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत है :-

## -:: प्रकरण के संक्षिप्ततथ्य ::-

प्रकरणके विस्तृत विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक शिवाजी राव शुगरमिल ने न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार मन्दसौर के यहां पर एक आवेदन-पत्र धारा २५० मध्य प्रदेश भू-राजस्वसंहिता १९५९ के अन्तर्गत आवेदक विकासचन्द पिता लल्लुप्रसाद पाटीदार के विरुद्ध प्रस्तुत किया कि अनावेदक द्वारा ग्राम बानीखेड़ी के सर्वे नम्बर ६२० रकबा ४-८२२ हेक्टर भूमि में से दिनांक २५-७-८९ एवं ३०-१०-८९ को पूर्व-पश्चिम ४० फीट उत्तर-दक्षिण २४ फीट भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया है। यह भूमि कम्पनी के अनावेदक ने धारा २५० :३: के अन्तर्गत अन्तरिम आदेश के लिये भी एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया। जिसका

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

--------

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** - निगरानी-1173-तीन/2003

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| **30-08-2019** | आवेदक व आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आदेश पंजिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 17-12-2013 से लगातार अनुपस्थित है, जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को चलाये रखने में कोई रूचि नहीं है । अत: यह प्रकरण आवेदक की अरूचि में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है ।<br><br>**(महेश चंद्र चौधरी)**<br>**सदस्य** | |